Sub: Call for <u>"Test C: Research proposal and Interview"</u> for Provisional admission to Ph.D. Programme under RET – Exempted category subject to availability of seats.

Dear Applicant,

I am pleased to inform you that on the basis of your application of RET-2017 (under RET-Exempted category), you have been called to appear in **Test C [as per format of Test C given at clause I.iii of the RET-2017 Information Bulletin]** for **possible provisional admission to** the Ph.D. programme in the main discipline/allied discipline(s) opted in the application form, subject to availability of seats, for the Academic Session 2017-2018 as per the schedule indicated below. The process of admission has been detailed at **Clause U** of the **RET-2017 Information Bulletin**:

RET EXEMPTED CATEGORY			
S.No.	**Test C Schedule**	**Date/Time**	**Location**
1.	Phase I	From schedule "data" filled up by the Departments on Call letter page.	**Main Discipline Department** (Discipline / Department in which candidate opted in RET application form)
2.	Phase II	From schedule "data" filled up by the Departments on Call letter page.	**Allied Discipline Department(s)** (Discipline / Department opted by the candidate in RET application form as allied discipline of his/ her choice and the candidate is eligible for admission in the discipline.

2. For Test C-Phase I, only those candidates who opted in the RET (under RET - Exempted) of that discipline are eligible. The Test C-Phase II is meant for candidates who exercised the option of allied disciplines in the RET application form (up to 03 choices in addition to main discipline department).

3. The candidates must note that Test C-Phase I in the main discipline department shall be held only for one day. The candidates would be at liberty to attend Test C in allied discipline departments determined on the basis of choice furnished by him/ her in the RET application form during the Test C-Phase II to be held in respective departments at any time during the dates notified above.

4. The candidates are required to fill up the counseling form (blank forms attached) in appropriate numbers for appearance in the Test C sessions at main and allied discipline departments. The candidates are advised to reach the Department(s), as per above schedule, along with **all the following required documents in original and filled up counseling form(s) for scrutiny/verification:**

(i) **Mark-Sheets** of the **QUALIFYING EXAMINATION** and **all other previous examinations** such as High School, Intermediate, Graduation, Post-graduation (as the case may be).

(ii) **Matriculation** or its **equivalent certificate** to ascertain the date of birth.

(iii) **Caste Certificate** issued by the competent authority, if admission is sought under SC/ST/OBC Category.

(iv) **Medical Certificate** issued by the competent authority, if admission is sought under Physically Challenged Category.

(v) **Character Certificate** issued by the institution last attended.

(vi) **Transfer Certificate (TC)** issued by the institution last attended.

NOTE: If due to certain unavoidable reasons a candidate is unable to produce T.C., the Admission Committee may, at its discretion, allow a period of up to seven days for submission of the Transfer Certificate after the last date fixed for closure of the provisional admission to the course failing which the admission may be cancelled. An undertaking that **"My provisional admission be cancelled in case I fail to produce the Transfer Certificate from the institution which I last attended by …………………. 2017"** shall be taken from each such candidate who has not submitted his/her Transfer Certificate before he/she is provisionally admitted. Original mark-sheet of the qualifying examination shall be returned to an admitted student only after he/she has submitted his/her T.C.

(vii) **Migration Certificate** issued by the Institution/ University/ Board last attended.

NOTE: Under exceptional situation a candidate may be allowed to submit the Migration Certificate within a period of 30 days from the date of his/her provisional admission. Certain Institutions/Universities/Board issue either Transfer Certificate or Migration Certificate but not both. In such cases, the certificate issued to the candidate shall be accepted and the candidate shall be asked to give an undertaking to the effect that the Institution does not issue Transfer (or Migration) certificate as the case may be.

(viii) **Ragging is prohibited.** In accordance with provisions contained in UGC Regulations on curbing the menace of ragging in Higher Educational Institutions, 2009, **sworn affidavits** for non-involvement in Ragging **from students and their parents/guardians are required**. The said regulations are available on the BHU website (www.bhuonline.in) for information of all prospective students and their guardians/parents. The said affidavits are required to be furnished by the students at the time of admission (entirely by new entrants as well as those promoted students who have not furnished it in the past academic session). The affidavits and the dossier form may be obtained from the admitted students when they report for classes.

(ix) Filled in Residence /Dossier form (in triplicate). (Form will be provided in students' portal or by the concerned office at the time of admission).

(x) Submit two self-attested copies of each of the documents mentioned above. Further, 10 copies of passport size photographs generally identical to the one pasted on the Entrance Test Application Form shall also be needed for pasting them on Counseling Form, "Residence Form", 'Identity Card', etc.

NOTE:

(1) In terms of the provisions contained under the Central Education Institutions (Reservation in Admission), Act, 2006 (No.5, 2006) in respect of persons belonging to socially and educationally backward classes (OBCs), OM.No.1-1/2005-U.1.A/847 Dated 20th April, 2008 of Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, and Resolution No. F.1-1/ 2005 - U.1 A/846 Dated 20th April, 2008, the candidates belonging to OBC are required to bring with them a caste Certificate issued by the Competent Authority. More specifically, the certificate should clearly specify that the candidate does not come under Creamy Layer.

5. Please note that in case you fail to report for Test C along with all the original documents and complete the necessary formalities during the indicated schedule, you shall forfeit your claim for consideration for provisional admission.

NOTE :

(a) Please bear in mind that the number of short-listed candidates called for Test C is much larger than the seats available in the Ph.D. discipline to which you are seeking admission. Therefore, mere receipt of the Call Letter does not entitle you for provisional admission. The Admission of the short-listed candidates shall be made strictly in accordance with the provisions laid in the RET 2017 Information Bulletin subject to availability of seats.

6. IMPORTANT GENERAL INFORMATION

Candidates must read carefully the under mentioned general information and conditions for the provisional admission. Non-compliance of any condition shall disqualify a candidate for provisional admission.

(a) The University shall not be responsible in any manner non-deliver y of e-call letter in time.

(b) The candidates must note that in this Call letter for Test C, the place of reporting is mentioned. The candidate should reach to the concerned office on the date and time as mentioned in the e-Call Letter.

Attendance of candidates present on a Counselling Date: The Candidates are advised to reach the counselling venue at the prescribed time/date given in the e-Call letter and to contact the Counselling Centre/Venue In-charge to mark his/her attendance by signing the attendance sheet available with the Counselling Centre In-charge. The Attendance Sheet can be printed from the Admission Module (by Admission Committees) for each day of counselling.

(c) The Admission Committee (Teachers-counsellors) available at the Counselling Centre/Venue will verify the required original documents of the candidates present at the time of counselling and accordingly academic record would be calculated for their merit in the online portal of admission of the candidate(s).

(d) Presence of parents/guardians of female candidates called for Test C is desirable.

(e) The completion of necessary formalities for provisional admission may take up to 7-8 days. Accordingly the outstation candidates are advised to come prepared to stay at Varanasi for the aforesaid period.

(f) Admission, payment of Fees and allotment of Supervisor

The final merit list shall be declared by the Department concerned. On receipt of the letter of admission, each candidate shall pay the fees as prescribed within stipulated date and complete other official formalities pertaining to admission within stipulated time **failing which he/she shall forfeit his/her claim for the provisional admission.**

Following admission fee payment modes will be available to the candidates:

I. **Online payment** (through Debit Card/Credit Card/Net banking) through the payment gateway available on the Portal.

NOTE

i). For online payment the candidate must visit Course Allocation page and make the payment through debit/credit card, etc.

ii). To secure admission in the course for which the candidate is provisionally offered he/she should **pay the prescribed Admission Fee within the deadline for payment of admission fee as mentioned in the offer of admission (shown on the Course Allocation page) within the deadline mentioned in the offer letter.**

(g) **A candidate will be treated as provisionally admitted in the course offered only after the prescribed fee has been paid by him/her.** In case they do not make payment of fee through above mode within the prescribed deadline, they will forfeit their claim for admission in the University. **On successful payment of prescribed admission fee, the payment ID will appear in the 'Application' page of the candidate's portal as well as in the admitted list available on the admission committee site of the portal. Further,** the provisional admission of the candidate to the concerned programme shall be subject to such Ordinances, Rules and Regulations as may be framed from time to time by the University.

(h) **However, if a candidate, on declaration of final merit list by various departments, stands selected for admission in more than one discipline, he/ she shall be allowed to take admission in only one of the disciplines based on his/ her choice/ preference and merit in the discipline.**

(i) Candidates can download the Admission letter from their portals only after the admissions are over in the concerned discipline or they have locked their allotment after any round of declaration of admission list. The admission letter will contain the date on which they have to report to the University for their Ph.D. and the documents that they are required to bring at the time of reporting.

ALLOTMENT OF SUPERVISOR

Thereafter, the allotment of Supervisor will be done by the DRC for those who have secured admission by depositing the admission fee. The DRC would formally allot a Ph.D. supervisor (and Co-Supervisor/s, if required) for the selected candidates on their proposed research topic.

Note: The candidates who are admitted against the vacancies in the Colleges (admitted to the privileges of the University) will have faculty members of the concerned College as their Supervisor. All such candidates would be treated as the research scholars of the concerned college and shall be required to pay the requisite fee in the concerned College.

(j) **Hostel accommodation is not guaranteed**. However, if it is available, it shall be allotted strictly on the basis of the merit excluding those candidates residing in nearby areas in the city /locality of Varanasi. **Mere provisional admission shall not entitle any student to secure a seat in the University Hostel.**

(k) SC/ST candidate provisionally selected for admission shall be required to deposit the prescribed fee before the deadline of fee payment failing which he/she shall forfeit his/her claim for the provisional admission. The candidates belonging to the SC/ST category and are eligible for post-matric Scholarships/Top-class Scholarships (whose parent/guardian annual income is not more than 2.00 lakhs) are not required to pay the non-refundable component of the prescribed regular fee. They are required to pay the Refundable Component (Caution Money) only. However, such eligible candidates will be required to submit an undertaking/contract bond to the effect that they will deposit the fee with University as soon as they receive the scholarship amount in their bank accounts. Accordingly, prospective candidates belonging to the said category desirous of availing this facility are required to furnish a caste and income certificate to this effect from the competent authority at the time of admission.

(l) The eligibility condition for Ph.D. admission in various faculties will be in accordance with the Ph.D. Ordinances as provided in the RET Information Bulletin – 2017.

(m) Only the local Court of Varanasi/Honorable High Court of Judicature at Allahabad/ Honorable Supreme Court of India shall have jurisdiction in case of any dispute relating to the provisional admission.

विषयः शोध प्रवेश परीक्षा (आर.ई.टी.) – छूट प्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत पीएच.डी. कार्यक्रम में अस्थायी प्रवेश हेतु सीटों की उपलब्धता होने की शर्त के साथ ''टेस्ट सीः शोध प्रस्ताव एवं साक्षात्कार'' के लिए बुलावा।

प्रिय आवेदक,

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि आपके आर.ई.टी.-2017 (आर.ई.टी. से छूट प्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत) के आवदेन पत्र के आधार पर आपको टेस्ट– सी में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। टेस्ट–सी का प्रारुप आर.ई.टी.-2017 सूचना बुलेटिन के उपलब्ध I. iii में अंकित है। पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए आपके द्वारा चयनित मुख्य विषय/संबंधित विषय में आपका प्रवेश सीटों की उपलब्धता के आधार पर अस्थायी रूप से होगा। शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए टेस्ट–सी का कार्यक्रम विवरण निम्नानुसार है। प्रवेश प्रक्रिया का विवरण आर.ई.टी. –2017 सूचना बुलेटिन के उपबन्ध यू में वर्णित है।

आर.ई.टी. से छूट प्राप्त श्रेणी

क्र.स.	टेस्ट सी अनुसूची	दिनांक/समय	स्थान
1.	चरण–I	विभाग द्वारा बुलावा पत्र में दी गयी सूचनाओं के अनुसार	मुख्य विषय विभाग (वह विषय/विभाग जिसे अभ्यर्थी ने आर.ई.टी. आवेदन पत्र में चुना था
2.	चरण–II	विभाग द्वारा बुलावा पत्र में दी गयी सूचनाओं के अनुसार	संबद्ध विषय विभाग (वह संबद्ध विषय/विभाग जिसे अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में चुना था तथा जिसमें प्रवेश के लिए अभ्यर्थी अर्हता रखता हो

2. टेस्ट सी–चरण–I के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र है; जिन्होंने आर.ई.टी. से छूट प्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत) में उस विषय को चुना था। टेस्ट–सी चरण–II केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने आर.ई.टी. आवेदन पत्र में संबद्ध विषयों का चुनाव किया था (मुख्य विषय विभाग के अतिरिक्त 03 विकल्पों तक)।

3. अभ्यर्थी ध्यान रखें कि मुख्य विषय विभाग में टेस्ट सी–चरण–I का आयोजन केवल एक दिन ही होगा। संबद्ध विषय विभागों, जिसका चुनाव अभ्यर्थी ने अपने आवदेन में किया था, के टेस्ट सी चरण–II जो संबंधित विभाग द्वारा उपरोक्त अधिसूचित तिथियों को किसी भी समय किए जाएंगे, में अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार उपस्थित हो सकते हैं।

4. मुख्य विषय तथा संबद्ध विषयों के टेस्ट–सी सत्र में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को काउसंलिंग प्रपत्र (सादे प्रपत्र संलग्न है) को उचित संख्या में भरना आवश्यक है। अभ्यर्थी उपरोल्लिखित समय पर अपने सभी निम्नलिखित मूल दस्तावेजों तथा भरे हुए काउसंलिग प्रपत्र/प्रपत्रों के साथ इनके संवीक्षा/सत्यापन हेतु विभाग पहुँचे।

(i) अर्हक परीक्षा तथा पिछली सभी परीक्षाओं जैसे– हाई–स्कूल, इण्टर–मीडिएट, स्नातक, परास्नातक (जैसी स्थिति हो) के अंकपत्र।
(ii) जन्मतिथि के निर्धारण हेतु मैट्रिकुलेशन अथवा इसका समकक्ष प्रमाण–पत्र।
(iii) यदि प्रवेश अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत लिया जाना है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(iv) यदि प्रवेश शारीरिक रूप से अक्षम (दिव्यांग) सवंर्ग के अन्तर्गत लिया जाना है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण–पत्र।
(v) अंतिम स्थान जहाँ अध्ययन किया हो, द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र।
(vi) अंतिम स्थान जहाँ अध्ययन किया हो, द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण–पत्र।

नोटः यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश स्थानांतरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो प्रवेश समिति विवेकानुसार स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत हेतु, अस्थायी प्रवेश बन्द होने की नियत तिथि से सात दिनों का समय दे सकती है। तत्पश्चात स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। अस्थायी प्रवेश लेने से पूर्व जिन अभ्यर्थियों ने अपने स्थानांतरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं उन सभी को **''यदि मैं अंतिम संस्थान जहाँ मैने अध्ययन किया है, द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र .... 2017 तक प्रस्तुत नहीं कर पाता हूँ तो मेरा अस्थायी प्रवेश निरस्त कर दिया जाए''**, आशय का शपथ–पत्र देना होगा। प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं के मूल अंक पत्र तभी वापस किए जाएंगे जब वे अपना स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करेंगे।

(vii) अंतिम संस्थान जहाँ से अध्ययन किया हो, द्वारा जारी प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण–पत्र।

नोट– आपवादिक स्थिति में अभ्यर्थी को अस्थायी प्रवेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। कुछ संस्थान/विश्वविद्यालय/बोर्ड या तो स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करते हैं अथवा प्रवजन प्रमाण–पत्र, किन्तु दोनो नहीं। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के लिए जारी किया गया दोनों में से कोई एक प्रमाण–पत्र स्वीकार किया जाएगा तथा अभ्यर्थी को इस आशय का वचन देना होगा कि उनके संस्थान द्वारा स्थानांतरण अथवा प्रवजन प्रमाण–पत्र (जैसी भी स्थिति हो) जारी नहीं किया जाता है।

(viii) **रैगिंग निषिद्ध हैः** उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या को नियंत्रित करने के लिए यू.जी.सी. अधिनियम–2009 के अनुसार **छात्रों तथा उनके अभिभावकों से रैगिंग में गैर भागीदारी का शपथ पत्र** आवश्यक है। सभी भावी छात्रों तथा उनके अभिभावकों के सूचना हेतु उक्त अधिनियम बी.एच.यू. वेबसाइट (www.bhu.online) पर उपलब्ध है। उक्त शपथ पत्र प्रवेश के समय छात्रों द्वारा भरा जाएगा (नये प्रवेशार्थियों तथा उन प्रोन्नत छात्रों के द्वारा भी जिन्होंने पिछले शैक्षणिक सत्र में इसे नहीं भरा था)। शपथ पत्र तथा डोजियर उस समय छात्रों से लिए जाएंगें जब वे अपने विभाग में रिपोर्ट करेंगें।

(ix) भरा हुआ निवास/डोजियर फॉर्म (तीन प्रतियों में) (फार्म छात्रों के पोर्टल पर उपलब्ध होगा या प्रवेश के समय संबद्ध कार्यालय के द्वारा दिया जाएगा)।

(x) उपरोल्लिखित प्रत्येक दस्तावेज के दो स्व–प्रमाणित प्रतियां/काउंसलिग फार्म, ''निवास फॉर्म'' 'पहचान पत्र' पर चिपकाने के लिए 10 पासपोर्ट साइज के फोटो जो सामान्यतः प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म पर चिपकाए गये फोटो के समरूप हो।

नोटः

(1) केन्द्रीय शिक्षण संस्थान (शिक्षा में आरक्षण), अधिनियम, 2006 (स. 5, 2006) के अन्तर्गत निहित उपबंध के संदर्भ में, सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े (OBCs) वर्ग के व्यक्तियों के मामले में,' OM.No.1-1/2005-U.1.A/847 दिनांक 20 अप्रैल, 2008, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार तथा संकल्प सं. I-F.1-1/2005-U.1.A/846 दिनांक 20 अप्रैल, 2008 के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। खास तौर पर प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए कि अभ्यर्थी क्रीमीलेयर (नवोन्नत वर्ग) के अन्तर्गत नहीं आता है।

5. टेस्ट सी के लिए अपने सभी मूल दस्तावेजों सहित सभी औपचारिकताओं के पूर्ति हेतु उक्त समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में, अस्थायी प्रवेश हेतु आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

नोटः

(a) ध्यान रखें कि आवेदित विषय में पीएच.डी. हेतु प्रवेश के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध सीटों से कहीं ज्यादा है। अतः केवल बुलावा–पत्र को प्राप्त करने से आप अस्थायी प्रवेश के हकदार नहीं हो जाते। चुने गए छात्रों का प्रवेश सर्वथा सीटों की उपलब्धता के अधीन आर.ई.टी.–2017 सूचना बुलेटिन में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार होगा।

6. महत्वपूर्ण सामान्य सूचनाएं

अस्थायी प्रवेश हेतु अभ्यर्थी नीचे दी गई सामान्य सूचनाओं और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। किसी भी एक शर्त का अनुपालन न होने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त समझा जाएगा।

(a) ई–बुलावा पत्र समय से न मिलने के लिए विश्वविद्यालय किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

(b) अभ्यर्थी ध्यान दें कि टेस्ट सी के ई–बुलावा पत्र में, रिपोर्टिंग का स्थान उल्लिखित है। अभ्यर्थी उल्लिखित तिथि एवं समय पर संबंधित कार्यालय में अवश्य पहुँचे।

काउंसलिंग तिथि पर अभ्यर्थी की उपस्थितिः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ई–बुलावा पत्र पर निर्धारित तिथि/समय पर काउंसलिंग स्थल पर पहुँचे तथा काउंसलिंग केन्द्र प्रभारी से संपर्क करें व काउंसलिंग केन्द्र प्रभारी के पास उपलब्ध उपस्थिति पत्रक में अपना हस्ताक्षर कर अपनी उपस्थिति दर्ज करायें। प्रत्येक दिवस के काउंसलिंग हेतु उपस्थिति पत्रक को प्रवेश माड्यूल (प्रवेश समिति के द्वारा) से प्रिंट किया जा सकता है।

(c) काउंसलिंग केन्द्र/स्थल पर उपलब्ध प्रवेश समिति (अध्यापक–काउन्सलर) काउंसलिंग के समय उपस्थित अभ्यर्थियों के आवश्यक मूल दस्तावेजों को सत्यापित करेगा तथा तद्नुसार अभ्यर्थी/ अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए आनलाइन पोर्टल पर उनके मेरिट के लिए शैक्षिक रिकार्ड की गणना की जाएगी।

(d) टेस्ट सी के लिए बुलाए गए महिला अभ्यर्थियों के माता–पिता/अभिभावकों की उपस्थिति वांछनीय है।

(e) अस्थायी प्रवेश के जरूरी औपचारिकताओं को पूरा होने में 7–8 दिन लग सकते हैं। तद्नुसार, बाहर के अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे उक्त अवधि तक वाराणसी में ठहरने की अपनी व्यवस्था के साथ आएं।

(f) **प्रवेश, शुल्क–भुगतान तथा पर्यवेक्षक का आवंटन**

अंतिम वरीयता सूची संबधित विभाग द्वारा घोषित की जाएगी। प्रवेश पत्र प्राप्त कर लेने के बाद, प्रत्येक अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर ही निर्धारित शुल्क जमा कर दें तथा प्रवेश से संबंधित अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ले अन्यथा अस्थायी प्रवेश हेतु उनका दावा समाप्त मान लिया जाएगा।

अभ्यर्थियों को प्रवेश शुल्क भुगतान के निम्नलिखित तरीके उपलब्ध होंगेः

I पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान द्वारा (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग)

नोटः

(i) ऑनलाइन भुगतान हेतु अभ्यर्थी कोर्स एलोकेशन पेज पर जाएं तथा डेबिट/क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करें।

(ii) यदि अभ्यर्थी प्रस्तावित पाठ्यक्रम में अस्थायी प्रवेश लेने हेतु इच्छुक है तो वह प्रवेश संबंधी प्रस्ताव में दिए गए शुल्क का प्रस्ताव पत्र में निर्धारित समय–सीमा के भीतर अवश्य भुगतान करें जैसा कोर्स एलोकेशन पेज पर दर्शाया गया है।

(g) अभ्यर्थी का किसी प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी मान्य होगा जब उसने निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिया हो। यदि आप उपरोक्त तरीकों से निर्धारित समय–सीमा के भीतर निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं तो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का आपका दावा समाप्त समझा जाएगा। निर्धारित शुल्क का सफलता पूर्वक भुगतान हो जाने पर अभ्यर्थी के पोर्टल के अप्लीकेशन पेज में तथा इसके साथ ही प्रवेश समिति के पोर्टल पर उपलब्ध प्रवेशित सूची में पेमेंट आई डी प्रदर्शित होगी। किसी भी अभ्यर्थी का संबंधित कार्यक्रम में अस्थायी प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यादेशों, नियमों, विनियमों के अधीन होगा।

(h) यदि कोई अभ्यर्थी विभिन्न विभागों के द्वारा अंतिम वरीयता सूची घोषित होने पर एक से अधिक विषयों में चयनित हो जाता है, तो उसे अपने/अपनी विकल्प/पसंद तथा विषय में वरीयता के आधार पर केवल किसी एक विषय में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाएगी।

(i) किसी भी दौर में प्रवेश सूची की घोषणा के बाद संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश समाप्त हो जाने के बाद या अभ्यर्थी द्वारा अपने आबंटन को लॉक कर देने के बाद ही अभ्यर्थी अपने पोर्टल से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकता है। प्रवेश पत्र में पीएच.डी. के लिए विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करने की तिथि एवं साथ में लाए जाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख होगा।

शोध पर्यवेक्षक का आबंटन

तत्पश्चात डी.आर.सी. के द्वारा शोध पर्यवेक्षक का आबंटन उनके लिए किया जाएगा जिन्होंने प्रवेश–शुल्क जमा करके अपना प्रवेश सुरक्षित कर लिया है। चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्रस्तावित शोध विषय हेतु, डी.आर.सी. औपचारिक रूप से एक पीएच.डी. पर्यवेक्षक (सह शोध पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षकों, यदि आवश्यक हो) को आबंटित करेगा।

नोटः ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश महाविद्यालयों में रिक्तियों पर हुआ है, (विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में) उनके शोध पर्यवेक्षक संबद्ध महाविद्यालय से होगें। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को संबंधित महाविद्यालय का शोध–छात्र माना जाएगा तथा उन्हे संबंधित महाविद्यालय में अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(j) छात्रावास सुविधा की गारंटी नहीं है। फिर भी उपलब्ध होने पर छात्रावास का आवंटन पूरी तरह से वरीयता सूची के आधार पर छात्रावास आवंटन नियमों के अनुसार किया जाएगा (उन छात्रों को छोड़कर जो वाराणसी शरह में या उसके आस–पास निवास करते हैं)। केवल अस्थायी प्रवेश पा लेने मात्र से ही कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय के छात्रावास में सीट आवंटन हेतु अर्ह नहीं होगा।

(k) प्रवेश हेतु अस्थायी रूप से चयनित अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर ही निर्धारित शुल्क जमा करें दे अन्यथा अस्थायी प्रवेश हेतु उनका दावा समाप्त मान लिया जायेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के अभ्यथी जो दशमोत्तर छात्रवृत्ति/उच्चश्रेणी छात्रवृत्ति के लिए अर्ह हैं (जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक न हो) उन्हें निर्धारित नियमित शुल्क घटक के अप्रतिदेय (नॉन–रिफंडेबल) शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल अप्रतिदेय संघटक (जमानत राशि) का भुगतान करने की आवश्यकता है। तथापि ऐसे अर्ह अभ्यर्थियों को अनुलग्नक–ए के अनुसार इस आशय का एक अंडरटेकिंक/कांट्रैक्ट बांड प्रस्तुत करना होगा कि जैसे ही उनके खाते में छात्रवृत्ति की राशि आ जायेगी, वे विश्वविद्यालय में शुल्क जमा कर देंगे। तद्नुसार, उक्त संवर्ग के भावी अभ्यर्थी जो यह सुविधा प्राप्त करना चाहते है, उनसे अपेक्षित है कि वे प्रवेश के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय का जाति प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

विभिन्न संकायों में पीएच.डी. में प्रवेश हेतु पात्रता की शर्त आर.ई.टी. सूचना बुलेटिन–2017 में उपलब्ध पीएच.डी. अध्यादेशों के अनुसार होंगी ।

(j) अस्थायी प्रवेश से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में न्यायाधिकार क्षेत्र केवल वाराणसी स्थित स्थानीय अदालत, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एंव माननीय उच्चतम न्यायालय का होगा।